क्रमांक– 42130479
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर,
भोपाल–462003
दूरभाष 2552646,2552878 फैक्स 2552406,
Email ID-cao.eincwrdbpl@ gmail.com

भोपाल, दिनांक /11/2018

प्रति,

मुख्य अभियन्ता,
____
जल संसाधन विभाग,
__________ (म0प्र0)

विषय :– ठेकेदार के विरूद्ध निलम्बन/काली सूची में डाले जाने संबंधी आदेश जारी करने विषयक ।

संदर्भ :– कार्यालयीन पृष्ठांकन क्र. 319/271/ई.टे./2015–16/1850, दिनांक 10.12.2015 एवं पत्र क्रमांक 42130479, दिनांक 27.05.2016

....

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पृष्ठांकन द्वारा पूर्व में प्रेषित प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग भोपाल का आदेश क्रमांक IT cell/Reg/87/2015/1004 भोपाल, दिनांक 10.12.2015 एवं म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग का आदेश क्रमांक एफ–17–1/19/बी/2010/392/भोपाल, दिनांक 03.05.2016 की छायाप्रति पुनः संलग्न प्रेषित हैं ।

उक्त पृष्ठांकित आदेश में निर्देश दिये गये है कि ठेकेदार के विरूद्ध की गयी कार्यवाही संबंधी आदेश जारी करने के साथ ही वेबसाइट पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करेंगे । इस हेतु मुख्य अभियन्ताओं को संबंधित वेबसाइट पर यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड दिये गयें है ।

किन्तु प्रायः देखने में आया है कि उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे कार्य में कठिनाई उत्पन्न होती है ।

अतः पुनः लेख है कि ठेकेदार का पंजीयन निलम्बन/काली सूची में रखने के संबंध में आदेश प्रसारित करने के साथ ही की गई कार्यवाही वेबसाइट पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें ।

–हस्ता/–
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग भोपाल.

पृष्ठांकन कमांक 42130479 भोपाल, दिनांक 14/11/2018

प्रतिलिपि :–

बेव मैनेजर कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग की ओर विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु अग्रेषित ।

13.11.18
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग भोपाल.

"कुशवाहा"

2 229 (2)

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेशनिर्माण भवन, प्लाट क. 27,28 अरेरा हिल्स भोपाल
(केन्द्रीय पंजीयन प्रकोष्ठ)
Website:www.mp.gov.in/pwdmp e mail :itmppwd@mp.gov.in

पत्र क्रमांक- IT Cell/Reg/87/2015/ 1004 भोपाल, दिनांक, 10/12/15

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग
मध्यप्रदेश,

विषय:- ठेकेदारों के विरूद्ध निलंबन/काली सूची में डाले जाने संबंधी आदेश जारी करने विषयक

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि मुख्य अभियंता द्वारा किसी भी ठेकेदार के विरूद्ध निलंबन /काली सूची में डाली जाने वाली कार्यवाही के आदेश जारी किये जाते है। ऐसा अनेक प्रकरण में देखने में आया है कि उपरोक्त आदेश की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में समय पर नहीं पहुँच पाती है। जिसके कारण ठेकेदारों का नाम निलंबन/काली सूची में डाली जाने वाली प्रक्रिया का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिये विभाग द्वारा आपके विभाग के मुख्य अभियंताओं को एम.पी.ऑनलाईन की पंजीयन व्यवस्था में सीधे एक्सेस हेतु एडमिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्रदाय किया जा रहा है, जिससे मुख्य अभियंता द्वारा ठेकेदार का नाम निलंबन/काली सूची में डालने पर उसी समय एम पीऑनलाईन की पंजीयन व्यवस्था में उक्त एंट्री मुख्य अभियंताओं के आई.डी. पासवर्ड (वन टाईम) दिये जा रहे है। कृपया प्राप्त होने पर पासवर्ड सुविधानुसार परिवर्तित कर लीजियेगा। भविष्य में किये जाने वाले निलंबन/काली सूची में डाले जाने वाली कार्यवाही उपरोक्तानुसार संपादित करें। सॉफ्टवेयर के संबंध में एमपी ऑनलाईन हेल्प नम्बर 9630838436 (श्री राहुल पाठक) है।

मुख्य अभियन्ता(प्रा/क)
पंजीयन अधिकारी
(केन्द्रीय पंजीयन प्रकोष्ठ)
कार्यालय प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. भोपाल

क्र. क्र. 319/271/ई-टे/2015-16/1850 दिनांक: 10/12/15

प्रतिलिपि :-

1. समस्त मुख्य अभियंता की ओर पालनार्थ, विभागीय वेबसाइट के माध्यम से।
2. टेक्नीकल मैनेजर, परियोजना संचालनालय, पाईक, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

संलग्न
उपरोक्तानुसार

R. K. Khandelwal
C.E. (Proc.)
Link Officer to E-in-C
W.R.D., Bhopal

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल–462004

आदेश

क्रमांक /एफ 17–1/19/बी/2010 भोपाल, दिनांक .05.2016

केन्दीयकृत पंजीयन व्यवस्था के तहत ठेकेदारों के पंजीयन के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के संबंध मे निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:–

1. म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश कमांक 7882/9671/19/यो भोपाल दिनांक 19.11.1999 के अनुसार ठेकेदारों के पंजीयन के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। तत्पश्चात शासन के आदेश कमांक एफ 17–1/2010/19/बी भोपाल दिनांक 24.03.2015 द्वारा इस संबंध में नवीन निर्देश जारी किये गये है। अतः पूर्व मे जारी उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 19.11.1999 तत्काल प्रभाव से अधिक्रमित किया जाता है।
2. म.प्र0. शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश एफ 17–1/2010/19/बी भोपाल दिनांक 17.08.2011 द्वारा ठेकेदारों के पंजीयन के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के संबंध मे दिनांक 19.11.1999 को जारी आदेश के संबंध मे प्रकियात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। इस आदेश को म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश कमांक एफ 17–1/बी/19/2010 भोपाल दिनांक 11.05.2015 द्वारा अधिक्रमित किया गया है।
3. अतः वर्तमान में प्रचलित नियमों के अंतर्गत ठेकेदारों के पंजीयन के विरूद्ध केवल पंजीयन निलंबन अथवा काली सूची में नाम डालने की व्यवस्था है। शासन चाहता है कि यह कार्यवाही निम्नानुसार की जाये।

अ. यह कार्यवाही संबंधित विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा की जायेगी। जिसकी विधिवत सूचना संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता, योजना एवं बजट (राज्य पंजीकरण अधिकारी) प्रमुख अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग भोपाल को तीन दिवस के अंदर दी जाना होगी। इसके अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को संबंधित वेबसाईट पर यूजर आई डी एवं पासवर्ड दिये गये है। अतः मुख्य अभियंता ठेकेदार के पंजीयन के विरूद्ध की गई कार्यवाही आदेश जारी करने के साथ ही वेबसाईट पर दर्ज किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे। यदि संबंधित विभाग में मुख्य अभियंता स्तर का अधिकारी नही है तो यह कार्यवाही उस विभाग की अनुशंसा के आधार पर उस जिले से संबंधित लोक निर्माण विभाग के परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा की जायेगी। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग इसकी सूचना राज्य पंजीकरण अधिकारी लोक निर्माण विभाग को दी जाने के अतिरिक्त इसे वेबसाईट पर दर्ज करायेगी। राज्य पंजीकरण अधिकारी संबंधित मुख्य अभियंताओं से सूचना प्राप्त हाने पर यह सुनिश्चित करेंगे कि तत्संबंधी प्रविष्टि वेबसाईट पर कर दी गई हे अन्यथा वे स्वयं उसे तत्काल वेबसाईट पर दर्ज करवायेगे।

ब. मुख्य अभियंताओं द्वारा ठेकेदारों के पंजीयन के विरूद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में अपील संबंधित विभाग के प्रमुख अभियंता/प्रबंध संचालक/विभाग प्रमुख को 90 दिवस मे प्रस्तुत करना होगी।

स. अपील के निपटारे के संबंध मे संबंधित विभाग के प्रमुख अभियंता/प्रबंध संचालक/विभाग प्रमुख द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम मान्य होगा।

द. अपील पर निर्णय की प्रति संबंधित अपीलीय प्राधिकारी निर्णय के तीन दिवस के भीतर राज्य पंजीकरण अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को दी जाना होगी। इदसके आधार पर राज्य पंजीकरण अधिकारी वेबसाईट पर ठेकेदार के पंजीयन की अद्यतन स्थिति दर्ज करेंगे।

इ. यह व्यवस्था आदेश जारी होने के दिनांक से समस्त कार्य विभागो, निगम/मण्डल तथा बोर्ड में लागू की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

4213

7 MAY 2016

C.E.(I.S.)	Sr. P.A.	S.E. (A)
C.E.-(N.M.)		C.P.O.
C.E. (P)		E.E. (V)
S.E. (Major)		E.E. (D)
S.E. (W)		A.E. (D)

E-in-C

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

पृ. क्रमांक एफ 17–1/19/बी/2010 / 392. भोपाल दिनांक 3 .05.2016

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव म.प्र. शासन भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/लोक निर्माण विभाग/नगरीय प्रशासन विकास विभाग मंत्रालय।
4. प्रबंध संचालक, एम.पी.आर.डी.सी. भोपाल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.आर.आर.डी.ए भोपाल।
6. प्रबंध संचालक पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन भोपाल।
7. आयुक्त, म.प्र. अधोसंरचना बोर्ड भोपाल।
8. आयुक्त, नगरीय प्रशासन भोपाल।
9. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी विभाग/परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग परियोजना कियान्वयन इकाई, निर्माण भवन अरेरा हिल्स भोपाल।
10. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग.....भोपाल।
11. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू ....
12. राज्य पंजीकरण अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग,अरेरा हिल्स भोपाल।
13. आई.टी.सेल कार्यालय प्रमुख अभियता लोक निर्माण विभाग भोपाल को उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

कार्यालय प्रमुख आभयता
जल संसाधन विभाग
• जल संसाधन भवन
तुलसी नगर,भोपाल(म.प्र.)

पृष्ठांकन क्र. 42/30479 भोपाल दि.

प्रतिलिपि:

01. मुख्य अभियंता ....
जल संसाधन विभाग ..... की ओर
आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

02. टेक सैलेशन किस डैम परियोजनाओं की
ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

शिरीष मिश्रा
अधीक्षण यंत्री (बजट)
जल संसाधन विभाग, भोपाल